

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक.—नर्सिंग / नर्स-2(F) / एम-66 / 2019 /

दिनांक:—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर ।

विषय—श्रीमती मोनिका, नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत ।

सन्दर्भ.— निदेशालय के क्रमांक 2445 दिनांक 22.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के पत्र के क्रम मे श्रीमती मोनिक नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का 93 दिवस अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में चार्मिका की प्रोबेशन अवधि कब पूर्ण होगी तथा कर्मचारी के असाधारण अवकाश पर रहने पर आप द्वारा उनके के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करावे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें ।




संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:— 6/8/19

क्रमांक—नर्सिंग / नर्स-2(F) / एम-66 / 2019 / 1047

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2— प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर